FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

प्रधानाचार्य बनाम प्रागाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 111,128 RLR Act नं. .... सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/4/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल मय तामिल अप्राप्त / इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 16/05/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर
16/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/06/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
14/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 967 दिनांक : 14/06/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. प्रधानाचार्य रा मा वि कुम्भानियों की होदी, कोसरिया, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. प्रागाराम पुत्र हुकमाराम, 2. जोगाराम पुत्र पीराराम, जाति जाट, निवासी कुम्भे का तला, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 123 / 2022

आदेश

ग्राम पंचायत कोसरिया के विद्यालय रा.मा. वि. कुम्भानियों की होदी, ग्राम पंचायत कोसरिया की भूमि गैर मु. स्कुल की खातेदारी मौजा – कुम्भे का तला, पटवार हल्का – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 176 रकबा 0.3964 हेक्टयर तथा खसरा नं. 499 / 176 रकबा 0.0890 हेक्टयर गै मु. होदी भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 14/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 968-972

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रधानाचार्य रा मा वि कुम्भानियों की होदी कोसरिया,
4. विप्रार्थी श्री प्रागाराम पुत्र हुकमाराम वगैरा 02,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर